संख्या 48 /VI-1/2008-2(13)2007

प्रेषक,

एस0एस0वल्दिया,
उप सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
युवा कल्याण एवं प्रान्तीय रक्षक दल,
देहरादून।

युवा कल्याण अनुभाग: देहरादून दिनांक 14 मार्च 2008

विषयः राज्य सेक्टर योजनान्तर्गत राज्य स्तरीय ग्रामीण खेलकूद प्रतियोगिता, यूथ एवार्ड एवं युवा महोत्सव हेतु प्रथम अनुपूरक मांग के माध्यम से स्वीकृत धनराशि अवमुक्त किये जाने विषयक।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या- 941/तीन-1473/2007-08 दिनांक 03 दिसम्बर 2007 तथा शासनादेश संख्या 160/VI-1/2007-08-2(13)/2007 दिनांक 31 अक्टूबर 2007 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि युवा कल्याण विभाग के राज्य सेक्टर योजनान्तर्गत निम्नानुसार राज्य सेक्टर योजना के अन्तर्गत प्रथम अनुपूरक मांग के माध्यम से प्राप्त धनराशि रू0 39.00 लाख (रू0 उनतालीस लाख मात्र) की श्री सज्यपाल महोदय आपके निर्वतन पर रखते हुए निम्नलिखित शर्तो के अधीन वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-6 भाग चार के नियम 249 के अन्तर्गत छूट प्रदान करते हुए रू0 19.00 लाख के अग्रिम आहरण कर व्यय करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

धनराशि (लाख रू0 में)

क्र0 सं0	मद का नाम	स्वीकृत धनराशि
1.	राज्य स्तरीय ग्रामीण खेलकूद प्रतियोगिता	20.50
2.	राज्य स्तरीय विवेकानन्द यूथ एवार्ड	3.50
3.	राज्य स्तरीय युवा महोत्सव	15.00
	योग	39.00

2. उक्त धनराशि इस प्रतिबन्ध के साथ स्वीकृत की जाती है कि, मितव्ययी मदो में आवंटित सीमा तक व्यय सीमित रखा जाय। यहां यह भी स्पष्ट किया जाता है कि धनराशि का आवंटन किसी ऐसे व्यय को करने का अधिकार नहीं देता, जिसे व्यय करने के लिए बजट मैनुअल या वित्तीय हस्तपुस्तिका के नियमो या अन्य आदेशों के अधीन व्यय करने से पूर्व सक्षम अधिकारी की स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक है। ऐसा व्यय सम्बन्धित अधिकारी की स्वीकृति प्राप्त कर ही किया जाना चाहिए। मितव्ययता नितान्त आवश्यक है। अतः व्यय करते समय मितव्ययता के संबंध में समय-समय पर जारी किये गये शासनादेशों में निहित निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

3. जहां आवश्यक हो, धनराशि व्यय करने से पूर्व सक्षम स्तर का अनुमोदन योजना पर एवं वित्तीय व्यय की प्रस्ताव पर प्राप्त कर लिया जायेगा। जहां निर्माण कार्य किये जाने हो वहां आगणनों पर शासन का अनुमोदन नियमानुसार प्राप्त किया जायेगा। सामग्री एवं उपकरणों का क्रय डी0जी0एस0एण्ड डी0 की दरों पर किया जायेगा और यह दरें न होने की स्थिति में टेण्डर (कोटेशन)विषयक नियमों का अनुपालन करते हुए ही किया जायेगा।

4. यह व्यय उसी मद में किया जायेगा, जिसके लिए यह स्वीकृत किया गया है। धनराशि का एक मुश्त आहरण न करके आवश्यकतानुसार किया जायेगा, किसी भी दशा में धनराशि का व्यवर्तन नही किया जायेगा। आयोजनागत समस्त व्ययों का (स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष) मदवार वास्तविक व्यय विवरण भी प्रस्तुत किया जाय तथा धनराशि का समायोजन अविलम्ब करा दिया जायेगा।

5. उक्त के सापेक्ष होने वाला 2007–2008 के अनुदान संख्या–11 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक–2204– खेलकूद तथा युवा सेवायें–00–001 निदेशन तथा प्रशासन–04–प्रादेशिक विकास दल एवं युवा कल्याण–42 अन्य व्यय के आयोजनागत पक्ष के मानक मदों के नामे डाला जायेगा।

6. उपरोक्त आदेश वित्त विभाग के अशा0 पत्र संख्या–962(P)XXXVII-(3) / 2007 दिनांक 28 फरवरी 2008 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(एस0एस0वल्दिया)
उप सचिव

पृष्ठांकन संख्या:–18 /VI-I / 2008–2(13)2007 तददिनांकित
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:–

1– महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी,उत्तराखण्ड, देहरादून।
2– बजट राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन निदेशालय देहरादून।
3– निजी सचिव,मा0मुख्यमंत्री जी, उत्तराखण्ड शासन।
4– निजी सचिव, मा0 युवा कल्याण मंत्री जी, उत्तराखण्ड शासन।
5– जिलाधिकारी उत्तरकाशी।
6– वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून।
7– वित्त अनुभाग–3 उत्तराखण्ड शासन।
8– एन0आई0सी0, सचिवालय, देहरादून।
9– गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(संजीव कुमार शर्मा)
अनुसचिव